राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन संख्या–04/16 (पी०एन०आर० 13914 नि०नि० 15–16) के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के तहत Data Entry Operator के पदों पर चयन/नियोजन हेतु आयोजित Competency Test/Walk-in-Interview के उपरांत सफल घोषित किये गये नवचयनित अभ्यर्थियों को निम्नवत् जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0सं0	रजिस्ट्रेशन नं0	नवचयनित अभ्यर्थी का नाम	कोटि	नवपदस्थापित जिला का नाम
1	145068	Rahul Ranjan	UR	East Champaran
2	145006	Hari Shankar Prasad Yadav	UR	Muzaffarpur
3	145081	Sanjeet Kumar	UR	Jehanabad
4	144109	Md. Sharezad Ahmed	UR	Munger
5	144090	Suraj Kumar	UR	Lakhisarai
6	144076	Dileep Kumar	UR	Bhagalpur
7	147015	Avinash Roy	UR	Kishanganj
8	145032	Vinod Kumar	UR	Buxar
9	145050	Rakesh Kumar	EBC	Darbhanga
10	145084	Sanjeev Kumar Ranjan	EBC	Katihar
11	144103	Sachin Kumar	BC	Gopalganj
12	145021	Abhishek Kumar	SC	Saharsa

1. संबंधित नवचयनित अभ्यर्थी को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक **19.08.2016** तक नवपदस्थापन जिला स्वास्थ्य समिति में योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। संबंधित जिला के सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति दिनांक **24.08.2016** तक योगदान की सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को देंगे।
2. योगदान के पश्चात् संबंधित Data Entry Operator के साथ जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एकरारनामा किया जाएगा।
3. Data Entry Operator का मानदेय भुगतान राज्य स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12500/–रू0 प्रतिमाह योगदान की तिथि के प्रभाव से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संबंधित कर्मी को योगदान के तुरंत बाद एकरारनामा कर कार्य आवंटित कर दिया जाय। इसमें विलम्ब अवांछनीय होगा।
4. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर कुल 11 माह या जबतक इस कार्य हेतु राशि उपलब्ध हो, के लिए किया जा रहा है। नवचयनित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा सकेगा।

5. नवचयनित अभ्यर्थियों का संविदागत् नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुर्ननियोनजन का दावा मान्य नहीं होगा।

6. सभी नवचयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा करवाया जाना है। यह संविदागत् नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति दो माह के अंदर संबंधित कर्मियों का चरित्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जाँच करवा लेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/–

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक : CMO/KA/CSH/2014/3059 **पटना, दिनांक: 01/08/2016**

प्रतिलिपिः सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी नवचयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1/8

कार्यपालक निदेशक
–सह–
सचिव, स्वास्थ्य विभाग